स्टाम्प खरीदते समय नहीं करें अधिक राशि का भुगतान

झुंझुनू, 26 मई : कोषाधिकारी मंजू कुमारी ने बताया कि पंजीयन विभाग द्वारा अप्रेल 2017 से मुद्रांक पर 20 प्रतिशत अधिक भार लागू किया जा चुका है, जो केवल नॉन ज्यूडिशीयल स्टाम्प पेपर, स्पेशल एडेसिव स्टाम्प, नोटेरीयल स्टाम्प पर ही लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि यह अधिक भार रेवेन्यू टिकिट, कोट फीस स्टाम्प, कोर्ट व नकल फीस टिकिट पर लागू नहीं है। उन्होंने सभी लोगों से कहा है कि स्टाम्प क्रय करते समय अधिक राशि का भुगतान नहीं करें और कोर्ठ वेण्डर अधिक राशि की मांग करता है, तो उसकी शिकायत तत्काल जिला कलेक्टर, कोषाधिकारी, उपकोषाधिकारी, उप पंजीयक, तहसीलदार से करें।